F.No.2-2/2013-CA.VI

Government of India

(Bharat Sarkar)

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

(Krishi, Sahakarita Avum Kisan Kalyan Vibhag)

New Delhi, the 09 September, 2016.

Order

Consequent upon winding up of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development (NOVOD) Board, the following has been decided:-

1. The land and building of the NOVOD Board are transferred to the National Horticulture Board(NHB) temporarily, until further orders;

2. A Surplus Staff Establishment (SSE) comprising one officer (Section Officer/ Asstt Director), one Office Assistant, one UDC/LDC and one MTS is created under Oil Seeds Division, out of the manpower of NOVOD Board, to accommodate the employees of the NOVOD Board.

3. All employees of the NOVOD Board are hereby transferred to the Surplus Staff Establishment(SSE) till they are accommodated in NHB or any other organization/office/Division of DAC against vacancies or on need basis.

4. The permanent posts held by the employees are deemed to have been abolished and in lieu thereof supernumerary posts are deemed to have been created for the Surplus employees in Surplus Staff Establishment.

5. Salary, Leave salary and pension contribution of the surplus employees of the NOVOD Board, till their redeployment, will be borne by DAC. Necessary budget provision in this regard will

be made from the "grants-in-aid" provided by DAC&FW under NMOOP. Surplus Employees who joined on or after 01.04.2004 will continue to be covered under Defined Contribution Pension Scheme (New Pension Scheme).

6. A new account for operating salary, retirement benefits including pension of the NOVOD Board Employees, namely 'Salary, Pension and Retirement Benefit Account of NOVOD Board Employees' is hereby opened in DAC &FW. Director/Deputy Secretary (Oil Seeds) in the Oil Seeds Division will be the custodian of the account.

Nirbheek

(M.K. Nirbheek)
(Under Secretary to the Government of India)

Copy to:-

1. PPS to Hon'ble AM
2. PPS to Hon'ble MOS(A)
3. PPS to Secretary (AC & FW)
4. PPS to Agriculture Commissioner, AC&FW
5. PPS to JS (Oil Seeds)
6. M.D., NHB
7. E.D. NOVOD Board
8. Secretary, NOVOD Board
9. Director (Oil Seeds)
10. D.S. (Finance), IFD, DAC&FW
11. SO(CA.II), SO(OS), SO(CA.VI)
12. Establishment –I Section, DAC&FW.
13. All Officers/Sections/Units in Oil Seeds Division,
14. Guard File.

Copy also to: Controller of Accounts, DAC&FW. Krishi Bhawan.

Shri Mahesh Chander, Programmer (DP)

फा.सं. 2-2/2013-सीए-VI
भारत सरकार
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
नई दिल्ली ।

दिनांक: 09 सितम्बर, 2016

आदेश

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोवोर्ड) बोर्ड को समाप्त करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. नोवोर्ड बोर्ड की भूमि और भवन को अस्थायी रूप से अगले आदेशों तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को अंतरित किया जाता है।

2. नोवोर्ड बोर्ड के कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नोवोर्ड बोर्ड के कर्मचारियों से एक अतिरिक्त कार्मिक स्थापना (एसएसई) सृजित की जाएगी जिसमें तिलहन प्रभाग के अंतर्गत एक अधिकारी (अनुभाग अधिकारी, सहायक निदेशक),एक कार्यालय सहायक एक अपर श्रेणी लिपिक / अवर श्रेणी लिपिक और एक एमटीएस होगा ।

3. नोवोर्ड बोर्ड के सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्मिक स्थापना (एसएसई) को डीएसी के एनएचबी या किसी अन्य संगठन/ कार्यालय/ प्रभाग में स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि रिक्तियों में अथवा आवश्यकता के आधार पर उन्हें समायोजित नहीं किया जाता है।

4. कर्मचारियों द्वारा धारित स्थायी पद को समाप्त समझा जाता है और इन अधिसंख्यक पदों के बदले में अतिरिक्त कार्मिक स्थापना में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए इसे सृजित समझा जाता है ।

5. नोवोर्ड बोर्ड के अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान को उनके पुनर्नियोजन तक डीएसी द्वारा वहन किया जाएगा । इस संबंध में आवश्यक बजट प्रावधान एमएनओओपी के अंतर्गत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वार प्रदत्त अनुदान सहायता से किया जाएगा। अतिरिक्त कर्मचारी जिन्होंने 01.04.2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है, को परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम (नई पेंशन स्कीम) के अंतर्गत शामिल किया जाना जारी रहेगा ।

6. नोवोर्ड बोर्ड के कर्मचारियों के पेंशन सहित वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ का संचालन करने के लिए एक नया खाता अर्थात " नोवोर्ड बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पेंशन, सेवा निवृत्ति लाभ कोष " कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में खोला जाता है। तिलहन प्रभाग के निदेशक/ उप सचिव (तिलहन) इस खाते के परिरक्षक होंगे ।

(मनोज कुमार निर्भीक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. पीपीएस, माननीय कृषि मंत्री
2. पीपीएस, माननीय कृषि राज्य मंत्री
3. पीपीएस, सचिव (कृषि सहकारिता किसान कल्याण)
4. पीपीएस, कृषि आयुक्त (कृषि सहकारिता किसान कल्याण)
5. पीपीएस, संयुक्त सचिव (तिलहन)
6. प्रबंध निदेशक (एनएचबी)
7. ई.डी. नोवोर्ड बोर्ड
8. सचिव नोवोर्ड बोर्ड
9. निदेशक (तिलहन)
10. उप सचिव (वित्त), आईएफडी, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग
11. अनुभाग अधिकारी (सीए-II), अनुभाग अधिकारी (तिलहन), अनुभाग अधिकारी (सीए-VI)
12. स्था. अनुभाग-I, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग
13. तिलहन प्रभाग के सभी अधिकारी / अनुभाग / यूनिट
14. गार्ड फाईल

प्रतिलिपि: लेखा नियंत्रक, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ।

श्री महेश चन्दर, प्रोग्रामर (डीपीओ)